प्रेस नोट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर दिनांक 04.11.2022

फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने वाला भू-माफिया गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 800/2022 धारा 420 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अवधेश निषाद पुत्र रामसूरज निषाद निवासी ग्राम छबैला पोस्ट चौरी-चौरा थाना चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही रहा है।

संक्षिप्त घटना व पूछताछ विवरणः-

दिनांक 02.10.22 को वादी मुकदमा रामप्यारे को चौरी-चौरा का भू-माफिया अवधेश निषाद द्वारा झांसा देते हुए धोखे से वादी की कीमती शहर की जमीन धोखे से बैनामा कराने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त अवधेश निषाद पुत्र रामसूरज निषाद निवासी ग्राम छबैला पोस्ट चौरी-चौरा थाना चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा वादी की जमीन आराजी नं0 80 मौजा- महादेव झारखण्डी टुकडा नं0-2 में रकवा नं0-0.474 है0 में से 11 डि0 को फर्जी तरिके से अपने व अपनी पत्नी के नाम से बैनामा करा कर तयशुदा धनराशि मूल्य 45,00,000/- (पैतालिस लाख) रुपये वादी के खाते में ट्रांसफर कर देने का आश्वासन देकर उक्त जमीन का बैनामा करवा लिया गया। अभियुक्त द्वारा वादी को विश्वास में लेकर फर्जी ढंग से जमीन का बैनामा कराया गया। इसके अलावा इसके द्वारा अनेको फ्राड की घटना की गई है। जिसका मुकदमा थाना चौरी चौरा में पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अवधेश निषाद पुत्र रामसूरज निषाद निवासी ग्राम छबैला पोस्ट चौरी-चौरा थाना चौरी-चौरा गोरखपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 800/22 धारा 420 भादवि थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 42/21 धारा 406 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 334/17 धारा 323/504/325 थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजवंश सिंह थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. का0 सुरेश यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. का0 रविन्द्र यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर